संख्या- 29/ पी-871/अट्तीस-9-2014-15(पीएमजीएसवाई)/2013,

प्रेषक,

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 10 अक्टूबर, 2014**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदाओं के तकनीकी एप्रेजल एवं बिडिंग क्षमता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1279/टी-226/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2014, दिनांक- 13.08.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिये प्राप्त निविदाओं के तकनीकी परीक्षण एवं निविदादाताओं की बिडिंग क्षमता के ऑकलन तथा वित्तीय मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-17025/33/2011/पी-।।।/एनआरआरडीए, दिनांक-07.05.2013 द्वारा किये गये प्राविधानों को आंशिक रूप से संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण सडक विकास एजेन्सी (एन0आर0 आर0डी0ए0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने परिपत्र संख्या-पी-17025/33/2011/पी-।।।/एनआरआरडीए, दिनांक-07.05.2013 के माध्यम से पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत निविदाओं के मूल्यांकन तथा कान्ट्रैक्ट अवार्ड करने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे समस्त कार्यों के लिये पूर्व निर्गत निर्देशों को अतिक्रमित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से लागू किये गये हैं। मई 2013 में योजना के अन्तर्गत प्राप्त निविदाओं के मूल्यांकन तथा कान्ट्रैक्ट के अवार्ड के लिये जारी किये गये दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-5.3 व 5.7 में क्रमश: **(1)-** तकनीकी निविदाओं को खोलने व उनके मूल्यांकन करने एवं **(2)-** वित्तीय निविदाओं को खोलने एवं उनके मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण करते हुये समितियों का गठन किया गया है। पीएमजीएसवाई गाइड लाइन के प्रस्तर-5.3 व 5.7 में किये गये प्राविधान निम्नानुसार उद्घृत है:-

5.3 Opening of Technical Bids and Evaluation:

The Technical Bid shall be opened by the designated authority using designated Digital Signature Certificates (DSCs) as perescribed under GePNIC (The single bid/tender shall be handled as per provisions of clause 5.8 of these Guidelines). The technical evaluation shall generally be started immediately after the opening of the Technical Bids. The Technical evaluation of the bids shall be carried out by the Committee constituted by the concerned SRRDA which shall comprise of the following:

http://sfcsahadesh.up.nic.in

a) Head of PIU or Superintending Engineer having relevant Jurisdication - Chairman

b) One other head of PIU/Superintending Engineer (Nominated by SRRDA)- Member

c) Finance Officer/Divisional Accounts Officer Of PIU (Nominated by SRRDA)- Member

5.7 Opening of Financial Bid and Evaluation:

Keeping in view the bid capacity of the bidder and following the provisions of para 8.4.2 and 8.4.3 of Operations Manual, the Financial bid shall be opened bye the designated officer using the DSCs at the appointed time (The single bid/ tender shall be handled as per provisions of clause 5.8 of this Guideline). Upon opening of the finacial bid, a comparative statement would be case of item rates tenders. The Bidding Documents provide for award of work to lowest evaluated bidder, if the bid is found reasonable, subject to the available bid capacity. Accordingly, the financial bids will be evaluated by the following committee constituted by the SRRDA.

a) Chief Executive Officer SRRDA - *Chairman*

b) Engineer - in- Chief or Chief Engineer having relevant jurisdiction - *Member*

c) Financial Controller *-Member*

3- उक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइड लाइन्स के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित शासनादेश दिनांक-08.11.2007 में अंशत: संशोधन करते हुये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिये प्राप्त होने वाली निविदाओं की तकनीकी मूल्यांकन एवं निविदादाताओं की बिडिंग क्षमता के ऑकलन तथा वित्तीय मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित समितियाँ गठित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

(क)- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिये प्राप्त होने वाली निविदाओं की तकनीकी मूल्यांकन एवं निविदादाताओं की बिडिंग क्षमता के ऑकलन हेतु गठित समिति:-

(1)- परियोजना क्रियान्वयन ईकाई के मुखिया या सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता- अध्यक्ष।

(2)- एक अन्य परियोजना क्रियान्वयन ईकाई के मुखिया/अधीक्षण अभियन्ता (राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा नामित)- सदस्य।

(3)- वित्त अधिकारी/परियोजना क्रियान्वयन ईकाई के क्षेत्रीय लेखाधिकारी (राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा नामित)- सदस्य।

(ख)- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिये प्राप्त होने वाली निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन हेतु गठित समिति:-

(1)- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण - अध्यक्ष।

(2)- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण - सदस्य।

(3)- जनपद से सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई) - सदस्य।

(4)- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण - सदस्य।

-3/

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त समिति द्वारा किये गये वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या-960/38-7-2007, दिनांक-08.11.2007 व शासनादेश संख्या-748/38-4-05, दिनांक-23.02.2005 में किये गये प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे, शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव।

संख्या- 29/ पी-871/अड़तीस-9-2014, तद् दिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी , ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य अभियन्ता/वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- जनपद से सम्बन्धित समस्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 के खण्ड लेखाधिकारी द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in